

विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 7-2-23 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

72/23 पत्रावली पैदा हुई, वकील प्रार्थी उपास्थित, अप्राथीगण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शांफ किये गये । अप्राथीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपास्थित नहीं हुए, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है । वकील प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली फैसल श्रुमार होकर नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

व तारीख
म जो इस
की तारीख
जारी हुए

सोनी-अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 05/23 प्रपत्र

श्री श्रीगज०श्री मोडा गुर्जर निवासी -वेना कारपेडा तहसील - माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री सुरजमल (ज०श्री) मांवर गुर्जर निवासी -वेना कारपेडा तहसील - माण्डल
राजस्थान राज्य जारिद तहसीलदार सा० माण्डल तहसील - माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक :- 07.02.23

::आदेश::

श्री श्रीगज०श्री मोडा गुर्जर निवासी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन था कि ग्राम वेना कारपेडा पटवार हल्का बावनास तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आरजी नं. 226 कुल कित्ता 01 रकबा 0-3035 हेक्टर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविधा के सोमा चिन्ह नहीं होने से आये व सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।


इस प्रार्थना पत्र द्वारा न्यायालय में दिनांक 11.01.23 को पजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सादर है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे कारत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते न्यायिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम वेना कारपेडा पटवार हल्का बावनास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 226 कुल कित्ता 01 रकबा 0-3035 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी देने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख नंबर लेसवा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पश्चात् पत्थरगढी की जायें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तिलिपि- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा